

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./एफ-1142/2023/560

दिनांक 06/09/2022

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 11(7) एफ.डी./नियम/2008/दिनांक 12.09.08 एवं एफ.14 (88) वित्त (नियम) /2008-1 दिनांक 31.12.2009 तथा एफ. 15 (1) एफ.डी/ रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.14(88) एफ.डी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ. 15(88) एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन सर्वग के कार्मिक जिन्होंने राज्य सेवा/संवर्ग में 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मेट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	राज्य सेवा/संवर्ग में प्रथम नियुक्ति/कार्यग्रहण तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	वर्तमान प्राप्त ग्रेड-पे/पे मेट्रिक्स लेवल	देय ग्रेड-पे/पे मेट्रिक्स लेवल
1	श्री सोहन लाल पुरोहित वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	जिला क्षय निवारण केन्द्र बीकानेर।	07.09.1994	07.09.2021 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
2	श्री हर्षवर्धन सिंह शखावत लैब टैक्नीशियन	पीएचसी मुंडरू ब्लॉक श्रीमाधोपुर, सीकर।	07.03.2011	07.03.2020 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-10
3	श्री अब्दुल अजीज कोहरी वरिष्ठ तकनीकी सहायक	पी.बी.एम एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर।	28.03.1992	28.03.2022 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
4	श्री ब्रम्हदत्त शर्मा लैब टैक्नीशियन	पीएचसी पीलीया ब्लॉक बस्सी, जयपुर।	11.01.2012	11.01.2021 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-10
5	श्री विनोद कुमार वरिष्ठ तकनीकी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी	01.10.1993	01.10.2020 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12

	सहायक	उदयपुरवाटी झन्डुनू।				
6	श्री सुरेन्द्रपाल लैब टैक्नीशियन	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिपराती, सीकर।	23.12.2012	23.12.2021 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-10
7	श्रीमती प्रतिभा पारीक लैब टैक्नीशियन	सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।	26.11.2012	26.11.2021 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-10

नोट:- क्रम संख्या 3 पर अंकित कार्मिक के 01.06.2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने के कारण इनका 27 वर्षीय एसीपी प्रकरण 03 वर्ष वृद्धि पश्चात स्वीकृत किया गया है।

उक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 06/09/2023

क्रमांक :- ई-33/ले.टै./एफ-1142/2023/560
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित नियंत्रण अधिकारी, ।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
3. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर